प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

सेवा में,

प्रबंधक,
सत्यवती मैमोरियल एकेडमी प्रा0स्कूल, कसौर रोड, किरतपुर
जनपद–बिजनौर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/ 713 /2005–06 दिनांक 09-5-06

विषयः–विधालय को प्राईमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके विधालय को नवीन प्राईमरी स्तर की अस्थायी मान्यता दिये जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विधालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)की अस्थायी मान्यता शासनादेश सं0 1837/15–98–18(एस)–7/89 दिनांक 10 सितम्बर,1998 में दिये निर्देशानुसार निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:–

1–विधालय में अवैधानिक कक्षाओं जैसे के0जी0,नर्सरी आदि का संचालन न किया जाय
2–विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा सहिंता के अनुच्छेदों का पूर्णतः पालन किया जाय।
3–विधालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक हैं।
4–छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाय।
5–विधालय में विभाग/उ0प्र0शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तकें ही पढाई जाय।
6–विधालय में शिक्षा हिन्दी माध्यम से ही दी जाय।
7–छात्रों की संख्या में वृद्धि की जाय।
8–अध्यापक/अध्यापिकायें अगले शिक्षा सत्र से प्रशिक्षित ही नियुक्त किये जाय।अप्रशिक्षित शिक्षकों के होते हुए विधालय को स्थायी मान्यता दिया जाना सम्भव न होगा।
9–विधालय में निर्धारित माप के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
10–स्थायी मान्यता हेतु 5 वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तो को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा। स्थायी मान्यता हेतु विधालय का अपना /निजी भवन होना अनिवार्य है।

यदि उक्त निर्देशों/विभागीय निर्देशों एवं इस कार्यालीय द्वारा दिये गये निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं किया जाता है,तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

भवदीय

(सतेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पृ0सं0/बेसिक/मान्यता/ /2005–06 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–जिला समाज कल्याण अधिकारी,बिजनौर।
2–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,बिजनौर।
3–जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी,बिजनौर।
4–संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी,जनपद–बिजनौर।

PRINCIPAL
Satyawati Memorial Academy
Kasour Road, Kiratpur, Bijnor
Affiliated to CBSE New Delhi

(सतेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

MANAGER
SATYAWATI MEMORIAL ACADEMY
KASOUR ROAD KIRATPUR
BIJNOR-U.P.

Scanned with OKEN Scanner

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

सेवा में,
प्रबंधक
सत्यवती मैमोरियल जूनियर हाई स्कूल,कसौर रोड,किरतपुर
जनपद–बिजनौर

पत्रांकः बेसिक/ 1957 /2007–08 दिनांक 02-7-2007

विषयः– अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिय गये निर्णय के अनुसार एवं शासनादेश सं0 217/15–6–92–18–एस (7)/89 दिनांक 11–5–92 एवं शासनादेश सं. 2681/15–6–95–18 एस (7) /89 दिनांक 18–1–1996 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांकः बे.शि.प. /सामान्य–5/21716–22019/96–97 दिनांक 10–2–97 में दिये गये निर्देशानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती हैः–

1. प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग होगा।
2. विद्यालय में विभाग / उ.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तके ही पढ़ाई जाये।
3. विद्यालय में छात्रों को हिन्दी माध्यम से ही पढ़ाया जाये।
4. अमान्य पुस्तकें न पढ़ाई जाये।
5. छात्रों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाय। अवैधानिक शुल्क कदापि न लिया जाये।
6. विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किये जाये।
7. विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं (जैसे कक्षा 9 एवं 10 आदि) का संचालन कदापि न किया जाय।
8. विद्यालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक है।
9. विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाये।
10. विद्यालय में निर्धारित माप के शिक्षण कक्षों का निर्माण कराया जाये।

शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगेः–

प्रधानाध्यापक	एक पद
सहायक अध्यापक	चार पद
लिपिक	एक पद
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक पद

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जाये। शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार परिषद कार्यालय का होगा।

भवदीय

PRINCIPAL
Satyawati Memorial Academy
Kasour Road, Kiratpur, Bijnor
Affiliated to CBSE New Delhi

MANAGER
SATYAWATI MEMORIAL ACADEMY
KASOUR ROAD KIRATPUR
BIJNOR-U.P.

(कृष्ण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

पृ.सं.बेसिक/ /2007–08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
3. संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद बिजनौर।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकरी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद बिजनौर।

(कृष्ण कुमार सिंह)

Scanned with OKEN Scanner

Affiliation No. : 2131505

SATYAWATI MEMORIAL ACADEMY

A Co-educational Senior Secondary School
Affiliated to CBSE, New Delhi

RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT- 2009

To,
The Secretary
C.B.S.E New Delhi

Subject:- Recognition certificate for the school under section 18 of Right of children to free and compulsory Education Act-2008.

Respected Sir/Madam

With high reverence, We want to state that the school is following all the rules under section 18 of Right of children to free and Compulsory Education Act 2008 and school is providing free and compulsory Education to such type of students.

Thanks and Regards

PRINCIPAL
Satyawati Memorial Academy
Kasour Road, Kiratpur, Bijnor
Affiliated to CBSE New Delhi

MANAGER
SATYAWATI MEMORIAL ACADEMY
KASOUR ROAD KIRATPUR
BIJNOR-U.P.

Scanned with OKEN Scanner